को उसी तरह से शिला लेखों पर लिखवा दे, जिस तरह कि अशोक के मुख्य विचार शिला लेखों पर लिख दिये गए हैं, तो बड़ा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसी बातों को मिनिस्टर को लिख दिया करें या उन को बता दिया करें, तो वह उन पर ग़ौर करेंगे।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बहुत नम्रता के साथ अर्ज करता हूं कि मेरी चिट्ठियों और यहां तक कि मेरे भाषणों का करीब करीब कोई असर नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस का क्या इलाज कर सकता हूं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : आप कहते हैं कि मैं मिनिस्टर साहब को लिख दिया करूं, इस लिए मैंने यह बात कही है। मैं क्या करूं ?

12.19½ hrs.

RE. POINT OF PRIVILEGE—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, ने विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वामी रामेश्वरानन्द साहब के साथ, जो कि इस हाउस के सदस्य हैं, दुर्व्यवहार किया गया है। इससे पहले एक दिन उन्होंने कहा था कि उन को जबर्दस्ती बाहर फेंक दिया गया। यह सवाल पहले उठाया जा चुका है और मैंने इस बारे में पूरा बयान दिया था और समझाया था कि यह बात बिल्कुल ग़लत है।

दूसरी चीज उन्होंने यह कही कि इतवार को उनको अन्दर नहीं आने दिया गया। इतवार को पार्लियामेंट बन्द रहती है इसलिये इतवार को हम किसी को अन्दर नहीं आने देते।

उन्होंने पानी के लिये कहा था। मैं श्री बड़े को साथ लेकर परसों खुद गया स्वामी जी के पास और जितनी सहूलियतें हो सकीं मैंने दिलवाने की कोशिश की। मगर वह चाहते थे कि सारे दिन अन्दर रह सकें। मैंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि जब हम पार्लियामेंट को बन्द कर दें उस वक्त भी हम अन्दर किसी को रहने की इजाजत दें।

पुलिस वाला डाक्टर आया था उसको हमने इजाजत नहीं दी आने की क्योंकि उसने हमसे इजाजत नहीं ली थी। हमने अपना डाक्टर भेजा था। मैंने यह भी कहा था कि अगर वह किसी डाक्टर को बुलाना चाहें तो हमें उसके देख लेने में उज्र नहीं होगा।

इसलिये इसमें विशेषाधिकार का सवाल पैदा नहीं होता और मैंने उसे नामंजूर कर दिया है।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वामी रामेश्वरानन्द के बारे में जिन्होंने गौ हत्या के विरोध में अपना . . .

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात मे नही जा सकते कि क्या बात वहां चल रही है। इस वक्त सवाल सिर्फ इतना है कि विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे होता है।

श्री बागड़ी : एक लफ्ज में मैं कहना चाहता हूं। स्वामी जी के साथ क्या हुआ। इसमें कौनसी बड़ी बात बन जाती है। उनका एक आन्दोलन था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर बहस चलने देने के लिये तैयार नहीं।

एक माननीय सदस्य : उनको खत्म कर लेने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता कि वह जो चाहें भाषण करते चले जायें ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : वाक्य तो खत्म कर लेने दीजिए । अगर बोलने नहीं देंगे तो बुलाया क्यों था । सेंटेन्स भी नहीं खत्म करने देते, यह क्या बात है ।

श्री बागड़ी : पहले तो मैं आप से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इतनी नाराजगी आप को नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह नहीं कहिये, वह बात कहिये जिसके लिये आप को बुलाया गया है ।

श्री बागड़ी : आपका हमारा सम्बन्ध है अध्यक्ष और मेम्बर के नाते से । अगर गलतफहमी से भी दिमाग में यह बात जंचे कि आप नाराज हैं तो यह हमारे लिये और सदन के लिये अच्छा नहीं है । यह बात मन में से निकल जानी चाहिये । आप इस सदन के मुखिया हैं । अगर किसी के भी मन में इस किस्म की बात आये तो उस वातावरण को बदलना चाहिये । यह मेरा आप से नम्र निवेदन है ।

इसके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने, जो कि इस सदन के सदस्य हैं, किसी अपने लक्ष्य को लेकर दो [illegible] क. भूख हड़ताल की । दो हफ्ते की भूख हड़ताल कोई मरण व्रत नहीं है । यह कोई एक किस्म का सत्याग्रह नहीं है । अगर मैं बगैर खाये रोटी हुए यहां आऊं तो मेरा पालियामेंट की सदस्यता का अधिकार नहीं छिन जाता है । मुझे बहैसियत सदस्य के यहां बैठने का अधिकार है । फिर फर्ज कीजिये कि आप यह समझते थे कि स्वामी रामेश्वरानन्द यहां पर नहीं रह सकते, तब भी अध्यक्ष के नाते से आपका फर्ज हो जाता था कि आप जाकर उनसे यह कहते कि वह यहां से चले जायें । अगर इस पर वह न जाते तब आप उन्हें गिरफ्तार करवा सकते थे । लेकिन यह नहीं होना चाहिये था कि आप न आयें और सदन के कर्मचारियों से कहें कि उन को उठा कर बाहर भेज दिया जाये ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इतवार को सदन बन्द रहता है, छुट्टियों में भी आपका सदन बन्द रहता है, लेकिन छुट्टी के दिन भी किसी सदस्य का यह अधिकार नहीं छीना जा सकता कि वह सदन में आ सकता है और लाइब्रेरी में आ सकता है या यहां के लान में आ सकता है ।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि डाक्टर कौन और कहां से आये सदस्य को देखने के लिये । मैं एक सदस्य हूं पालियामेंट का । जब तक आप मुझे मुअत्तिल या एक्सपेल्ड करके इस चहार दीवारी के बाहर नहीं निकाल देते तब तक मैं अपनी मर्जी के डाक्टर को बुला कर दिखला सकता हूं । अगर इस पर कोई रोक लगती है तो वह विशेषाधिकारों के [illegible] आता है ।

इससे आगे चल कर मैं निवेदन करूंगा कि आप ने परसों जाकर पानी का प्रबन्ध किया । बहुत अच्छा होता अगर आप शुरू में जाकर ऐसा कर देते । इसमें कोई फर्क नहीं आ सकता था । आप शायद एक दलील देंगे कि अगर सारे सदस्य इस तरह से करने लगें, तो अगर सारे सदस्य चाहें तो वह सब कुछ कर सकते हैं, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती ।

इन कारणों से मैं निवेदन करता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया जो कुछ मुझे कहना था ।

Shri Ranga (Chittoor): I am sorry I plead guilty for my ignorance of the purpose for which Swami Rameshwaranand had gone on hunger-strike. It is strange that the papers which

are very liberal in their publicity for various other things have not given us sufficient information in regard to this matter although he has been on hunger-strike for the last 15 days. I think he is not observing it as a protest against this House or against you, Sir, I hope he has no complaint against us.

Now, about the Sunday experience of his—I do not know all the details—I would request you to see whether you can liberalise whatever rules there are in order to give him the minimum possible conveniences even on a Sunday so that .

Mr. Speaker: I have given him; I went to him.

Shri Ranga: In that case, there will be no difficulty. One small comfort which we can provide is this. We generally have these big umbrellas for summer which we keep in our lawns. If we can provide one to him, it will provide him some small shelter. I only think of it just now at the spur of the moment. I would like you to express our sympathy and your sympathy also to him for the sufferings he is inflicting upon himself in a cause which he considers to be dear to him and about which, of course, we have the sympathy.

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी विनती पर स्वयम् स्वामी जी के पास गये और जब मैं ने आप से डिफिकल्टीज बतलाई कि पानी आदि की व्यवस्था नही है तो आप ने बड़े उदार हो कर एक महीने के लिये उस की व्यवस्था कर दी । यदि पहले मुझे मालूम होता तो मैं पहले आप के पास आता । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक पालियामेंट के मेम्बर को छुट्टी के दिन या और किसी दिन इस हाउस में और हाउस के बाहर गार्डेन्स में आने का अधिकार है या नही ।

दूसरी बात यह है कि यदि हम अपना आइडेंटिटी कार्ड ले कर आयें मेम्बर पालियामेंट का और यहां के गार्डेन्स में छुट्टी के रोज आ कर बैठें तो क्या आप के कर्मचारी हम को मना कर सकते हैं । यदि मना कर सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि पालियामेंट का डिसीजन होना चाहिये कि क्या इस प्रकार से धक्के मार कर और इनसल्ट कर के किसी मेम्बर को निकालना ठीक है, जैसा कि स्वामी जी के साथ हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात गलत है कि किसी ने उन्हें धक्के मार कर निकाला है । मैं कह चुका हूं कि यह बात गलत है । गलत इल्जाम लगाया गया है । मैं ने इस की तहकीकात भी कर ली है और बार बार इसे दोहराये जाना मुनासिब नहीं है ।

दूसरी बात यह रही कि आया अगर कोई मेम्बर चाहे तो छुट्टी के दिन आ सकता है या नहीं । पालियामेंट के मेम्बरों को जो सहूलियतें चाहियें वह हर एक सहूलियत मैं देने के लिये तैयार हूं । लेकिन जब पालियामेंट बन्द हो तब कोई मेम्बर पालियामेंट के किसी काम के लिये आना चाहे तो उसे इस की इत्तला देनी होगी कि किस काम के लिये आना चाहता है, और उसे इजाजत दी जायेगी । लेकिन डिमान्स्ट्रेशन के लिये मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता कि कोई छुट्टी का दिन हो तब वह यहा बैठ कर किया जाये । मैं ने कहा कि पहले भी यह हो चुका है । खाली स्वामी जी के साथ ही ऐसा नहीं हुआ । मि० गोपालन ने करना चाहा था, मि० बैनर्जी ने करना चाहा था, और एक साहब और थे मि० सक्सेना

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मैं ने बाहर किया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मेरा कहना मान लिया । जिन्होंने नहीं माना मैं उन के लिये कह रहा हूं ।

[अध्यक्ष महोदय]

इस वास्ते कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। जितनी सहूलियतें दी जा सकती हैं, मैं ने दे दी हैं। श्री रंगा ने जो कहा कि छतरी लगवा कर दी जाये, वह मैं नहीं कर सकता। इस के लिये मुझे अफसोस है।

12·27 hrs.

DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL*

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954."

The motion was adopted.

Shri Nanda: I introduce† the Bill.

12·27½ hrs.

KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further Clause-by-Clause consideration of the Bill to confer on the President the Power of the Legislature of the State of Kerala to make laws. Clause 3 is under consideration. Shri Hari Vishnu Kamath to continue his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Mr. Speaker, Sir, before I proceed to resume the observations which I left halfway through on Friday, may I request you to admit tomorrow—it being the last day—more than two Calling Attention notices and, if necessary, even an adjournment motion.

Now, I come to the Bill. I have moved amendments 1 and 2 to clause 3 of the Bill. Amendment No. 1 seeks to divest the President of the discretionary power which is sought to be conferred upon him by this measure about consulting the Committee. I want to make it mandatory that the President must consult the Consultative Committee on every occasion when he wishes to legislate for Kerala. When the House adjourned on Friday, I was about to suggest that the President, the busy dignitary as he is, will most probably not be able to consult or summon the consultative committee except on very rare occasions. The hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs, while speaking on the resolution and the Bill the other day, sought to make out that this was a parliamentary committee. When I asked a pointed question, he tried to wriggle, so to say, out of the quandary, by saying that it was not a parliamentary committee in that sense. How could it be a parliamentary committee, and yet not a parliamentary committee in that sense? For a parliamentary committee, according to our Rules of Procedure, is well defined. The hon. Minister must say that either it is a parliamentary committee or it is not a parliamentary committee. What is the use of saying that it is not a parliamentary committee in that sense? If it is not a parliamentary committee, the hon. Minister must say that it is a consultative committee, and, therefore, it has only got very limited functions and powers.

Mr. Speaker: Can the hon. Minister not amend it by saying that it is a committee consisting of Members of Parliament?

Shri Hari Vishnu Kamath: He has used the words 'parliamentary committee'.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2 dated 10-5-65.

†Introduced with the recommendation of the President.